यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के माह 04/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.05.2017 से 23.05.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य
2014-15	NIL	NIL	41.45	32.42	9.03	16.26	10.81	5.45
2015-16	NIL	NIL	36.56	32.50	4.06	20.38	19.11	1.27
2016-17	NIL	NIL	28.47	24.21	4.26	18.40	16.40	2.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक जनजाति कल्याण (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण ——→ निदेशक, जाति कल्याण ——→ जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रधानाचार्य

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2012 एवं 03/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- कोषागार से आहरित धनराशि रु0 48166/सम्बन्धितों को भुगतान न करने के बावजूद भी बैंक खाते में धनराशि न होना।

कार्यालय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुनस्यारी की रोकड बही की जॉच में पाया गया कि रोकड बही में दिनांक 28.11.2012 को धनराशि रु0 46,802/ विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान हेतु लम्बित था अर्थात अवशेष धनराशि के रुप में दर्शित था। जिसे कोषागार से आहरित कर कार्यालय के बैंक खाते में रखा गया था। भुगतान हेतु लम्बित भुगतानों का विवरण निम्नवत् है;

प्राप्तकर्ता का नाम	मद	धनराशि
श्री जी0 सी0 जोशी	गैस ढुलाई	3350
	डाक टिकट क्रय	600
	विज्ञापन का भुगतान	1000
	यात्रा भत्ता बिल	643
श्री जे0 पी0 रावत	गैस भराई भुगतान	27542
	गैस भराई भुगतान	7731
में0 देवेन्द्र सिंह कोरंगा	फोटो स्टेट	2182
श्री इन्द्र सिंह मेहरा	डाक टिकट	300
श्री जय प्रकाश रावत	2011–12 का बोनस भुगतान	3454
कुल योग		**46802**

आगे जॉच में पाया गया कि उक्त धनराशि का भुगतान 03 वर्षो की अवधि व्यतीत होने से दिनांक दिनांक 07.11.2015 तक नहीं किया गया था तथा रोकड बही में धनराशि रु0 46166/ का अवशेष दर्शित हो रहा था। कार्यालय द्वारा दिनांक 30.11.2015 से नई रोकड बही बनायी गयी जिसमें प्रारम्भिक अवशेष **शून्य** दर्शाया गया था। परन्तु रोकड बही एवं बैंक पासबुक की जॉच से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धितों को नहीं किया गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में संचालित बैंक खाते में धनराशि रु0 17439/ ही अवशेष है जिसमें अर्जित ब्याज की धनराशि भी शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा धनराशि रु0 46166/ का भुगतान सम्बन्धितों को नहीं किया गया तथा उक्त धनराशि बैंक खाते से भी निकाला जा चुका था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 30.11.2015 तक कार्यालय को रोकड बही नहीं दी गयी थी तथा लेखों में लेन देनों को लेखाबद्ध करने हेतु नई रोकड बही बनायी गयी, पुरानी रोकड बही कार्यालय को दिनांक 01.08.2016 को सौपी गयी। अवशेष धनराशि रु0 46166/ के सम्बन्ध में अवगत कराया कि बैंक खाते में अवशेष धनराशि न होने के कारण रोकड बही में नहीं लिया जा सका। यह भी अवगत कराया गया कि

तत्कालीन प्रधानाचार्य से धनराशि की कमी के कारणों का पता करते हुए लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवशेष धनराशि को नई रोकड बही बनाते समय प्रारम्भिक अवशेष में सम्बन्धित टिप्पणी के साथ दर्शायी जानी चाहिए थी तथा धनराशि के कमी ज्ञात होने पर ही कार्यालय स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु0 48166/सम्बन्धितों को भुगतान न करने के बावजूद भी बैंक खाते में धनराशि न होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

प्रस्तर-1- शासन के वित्त विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये बैंक खाते का संचालन तथा फर्म को धनराशि रु0 867/ का विगत एक वर्ष से भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/ 2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी की लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 32827147584 का संचालन शासन के वित्त विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये संचालित किया जा रहा था तथा उक्त खातें में धनराशि रु0 17,439/ अवशेष थी। अवशेष धनराशियों में अर्जित ब्याज की राशि एवं अन्य राशियॉ भी सम्मिलित थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि माह मार्च 2016 में भोजन व्यस्था, जलकर आदि मदों में व्यय के उपरान्त प्रस्तुत देयकों के सापेक्ष भुगतान के लिए कोषागार से धनराशि रु0 153671/ प्राप्त की गयी परन्तु सम्बन्धितों के भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कोषागार से प्राप्त उक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक केवल रु0 152804/ का ही भुगतान किया गया है। शेष धनराशि रु0 867/ का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि मई 2017 तक नहीं किया गया था तथा विगत 01 वर्षो से उक्त धनराशि को कार्यालय के बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अवशेष धनराशि की योजना स्पष्ट नहीं हो पायी इसलिए उसे न तो खर्च किया गया और न ही प्राप्ति मद में जमा किया गया। अतः पुनः जॉच कर प्राप्ति हेड में शीघ्र जमा कर दिया जाएगा, बिना अनुमति के बैंक खाते के संचालन के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। कोषागार से आहरित धनराशि रु0 867/ विगत एक वर्ष से भुगतान न करने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि फर्म द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान न किया जाना दर्शित है शीघ्र ही फर्म से सम्पर्क कर भुगतान किया जाएगा।

अतः शासन के वित्त विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये बैंक खाते का संचालन तथा फर्म को धनराशि रु0 867/ का विगत एक वर्ष से भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
प्रथम बार लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री जगदीश राम टम्टा	प्रधानाचार्य
2.	श्री किशोर कुमार करसारी	प्रधानाचार्य

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.